प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

आहरण वितरण अधिकारी
मत्स्य निदेशालय, लखनऊ

पत्रांक–4871/नि0शा0/2019–20 दिनांक–06-11-,2020.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2019–20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020–21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त सामान्य मद में केन्द्रांश रू0 2268.712 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि रू0 1434.5509 लाख में से मात्र केन्द्रांश रू0 1140.416 लाख की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति में से प्रशासनिक व्यय मद में आवंटित रू0 57.07 लाख के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 19/2020/695/सत्रह–म–2020–6–9–(2)/19 दिनांक 06 जुलाई, 2020 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद में केन्द्रांश रू0 2268.712 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि रू0 1434.5509 लाख में से मात्र केन्द्रांश रू0 1140.416 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ चालीस लाख इकतालीस हजार छः सौ मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति में से प्रशासनिक व्यय मद में आवंटित रू0 57.07 लाख (रू0 सत्तावन लाख सात हजार) का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों/मण्डलों/निदेशालय को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मदों में किया जायेगा।

1- The earmarked funds under Administrative Expenses shall be utilized for (a) information Education Communication (IEC) activities and for preparation of IEC material including electronic and print material, (b) cost of seminars, workshops, conferences, official meetings, farmers meet etc., (c) publicity and promotional activities through electronic and print medias, (d) recording of videos & photography on success stories and best management practices, (e) cost of supervision, monitoring and evaluation, (f) preparation of required MIS along with necessary hardware/software, (g) Social Audit if any required, (h) cost hiring of personnel on contract, (i) cost of assessments and evaluation studies; (j) hiring of project management consultants, (k) preparation of State and National Annual Plans and Vission Documents etc.
2- These funds shall also be utilized in assisting the States/UTs requiring assistance for preparation of their action plans, prioritizing the development plans, preparation of proposals through project consultants etc.

जिसमें निदेशालय स्तर पर रू0 20.46 लाख की धनराशि विभाग के पोर्टल की सुरक्षा आडिट व मैन्टीनेन्स हेतु भुगतान, विभागीय वेबसाइट के सुरक्षा आडिट के कार्य तथा प्रशासकीय व्यय मद में प्रावधानित अन्य मदों हेतु आवंटित की जा रही है। इसके अतिरिक्त मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय व्यय मद हेतु 34 जनपदों को अलग से भी आवंटित की गयी है जिसमें से 30 जनपदों को तथा शेष 41 जनपदों व 18 मण्डलों को प्रशासकीय व्यय मद हेतु आवंटित की जा रही है। इसमें से 41 जनपदों तथा 18 मण्डलों में उक्त आवंटित धनराशि से दिनांक 21.11.2020 को आयोजित होने वाले विश्व मात्स्यिकी दिवस–2020 पर गोष्ठी/कार्यशाला पर रू0 15000/–, तथा रिवर रैंचिंग हेतु रू0 10000/– होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा। रिवर रैचिंग चिन्हांकित जनपदों में किया जाना है जिसका विवरण अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त जनपदों/मण्डलों द्वारा उक्त धनराशि में से ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत मजदूरी, स्थलीय निरीक्षण हेतु यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री, टेलीफोन पर व्यय (सी0यू0जी0 सुविधा हेतु), कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर, अनुरक्षण व तत्सम्बन्धित स्टेशनरी पर व्यय, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण व उनकार अनुरक्षण, नियमों के अन्तर्गत एवं आवश्यकतानुसर पेट्रोल/डीजल पर व्यय एवं नीली क्रान्ति सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, प्रदर्शनी एवं मेला इत्यादि मदों पर किया जायेगा। साथ–ही प्रशासकीय व्यय मद में जनपदों/मण्डलों को ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत संचालित परियोजनाओं के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु 41 जनपदों {(75–34) मछुआ आवास योजना में प्रशासकीय व्यय आवंटित जनपदों को छोड़कर} तथा 18 मण्डलों जो धनराशि आवंटित की जा रही है, के द्वारा रू0 15000/– (अधिकतम

सीमा) की दर से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये कन्फीगुरेशन के आधार पर एनरायड फोन का क्रय किया जायेगा, जिसका उपयोग केवल विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। उक्त एनरायड फोन के कन्फीगुरेशन निर्धारण जनपदों/मण्डलों को निदेशालय द्वारा बाद में उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैंनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या 20/2016/2362/सत्रह–म–2016–6–9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश/गाइड लाइन्स, शासनादेश संख्या 18/2017/1128/सत्रह–म–2017–6–9(333)/16 दिनांक 07 जुलाई, 2017 एवं शासनादेश संख्या 2/2018/2236/सत्रह–म–2018–6–9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग–निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षकों में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

5– विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा–निर्देश के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी। सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार निर्माण, अवस्थापना, क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा सक्षम तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

7– प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

8– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम में पूर्व में इस मद में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

10–स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1/2020/बी–1–149–दस–2020–231/2020 दिनांक 24–3– 2020, पत्र संख्या 4/2020/बी–1–192/दस–2020–231/2020 दिनांक 07–04–2020, पत्र संख्या–5/2020/बी–1–196/दस–2020–231/2020 दिनांक 11–04–2020 पत्र संख्या 6/2020/बी–1–218/दस–2020–231/2020 दिनांक 18–05–2020 एवं पत्र संख्या–बी–1–1195/दस–16–94 दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2020 के प्रस्तर–3 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण EAT module of PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12 – धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

13– व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

14– राज्य सरकार द्वारा केन्द्रांश की धनराशि जारी की गई है अतः इसका समयबद्ध तरीके से दो माह में नियमानुसार प्रोजेक्टस के सापेक्ष मानकों का पालन करते हुए व्यय सुनिश्चित करें ताकि राज्यांश की धनराशि अवमुक्त कराया जा सके।

15– उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0102– ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना, 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

16– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (114) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।

3– अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।

4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी...............................

5– उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।

6– गार्ड फाइल।

7– वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेशित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

आहरण वितरण अधिकारी
मत्स्य निदेशालय, लखनऊ

पत्रांक– /नि0शा0/2019–20 दिनांक– 06-11 ,2020.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2019–20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020–21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त सामान्य मद में केन्द्रांश रू0 2268.712 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि रू0 1434.5509 लाख में से मात्र केन्द्रांश रू0 1140.416 लाख की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति में से प्रशासनिक व्यय मद में आवंटित रू0 57.07 लाख के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 19/2020/695/सत्रह–म–2020–6–9–(2)/19 दिनांक 06 जुलाई, 2020 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद में केन्द्रांश रू0 2268.712 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि रू0 1434.5509 लाख में से मात्र केन्द्रांश रू0 1140.416 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ चालीस लाख इकतालीस हजार छः सौ मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति में से प्रशासनिक व्यय मद में आवंटित रू0 57.07 लाख (रू0 सत्तावन लाख सात हजार) का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों/मण्डलों/निदेशालय को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मदों में किया जायेगा।

1- The earmarked funds under Administrative Expenses shall be utilized for (a) information Education Communication (IEC) activities and for preparation of IEC material including electronic and print material, (b) cost of seminars, workshops, conferences, official meetings, farmers meet etc., (c) publicity and promotional activities through electronic and print medias, (d) recording of videos & photography on success stories and best management practices, (e) cost of supervision, monitoring and evaluation, (f) preparation of required MIS along with necessary hardware/software, (g) Social Audit if any required, (h) cost hiring of personnel on contract, (i) cost of assessments and evaluation studies; (j) hiring of project management consultants, (k) preparation of State and National Annual Plans and Vission Documents etc.
2- These funds shall also be utilized in assisting the States/UTs requiring assistance for preparation of their action plans, prioritizing the development plans, preparation of proposals through project consultants etc.

जिसमें निदेशालय स्तर पर रू0 20.46 लाख की धनराशि विभाग के पोर्टल की सुरक्षा आडिट व मैन्टीनेन्स हेतु भुगतान, विभागीय वेबसाइट के सुरक्षा आडिट के कार्य तथा प्रशासकीय व्यय मद में प्रावधानित अन्य मदों हेतु आवंटित की जा रही है। इसके अतिरिक्त मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय व्यय मद हेतु 34 जनपदों को अलग से भी आवंटित की गयी है जिसमें से 30 जनपदों को तथा शेष 41 जनपदों व 18 मण्डलों को प्रशासकीय व्यय मद हेतु आवंटित की जा रही है। इसमें से 41 जनपदों तथा 18 मण्डलों में उक्त आवंटित धनराशि से दिनांक 21.11.2020 को आयोजित होने वाले विश्व मात्स्यिकी दिवस–2020 पर गोष्ठी/कार्यशाला पर रू0 15000/–, तथा रिवर रैंचिंग हेतु रू0 10000/– होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा। रिवर रैचिंग चिन्हांकित जनपदों में किया जाना है जिसका विवरण अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त जनपदों/मण्डलों द्वारा उक्त धनराशि में से ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत मजदूरी, स्थलीय निरीक्षण हेतु यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री, टेलीफोन पर व्यय (सी0यू0जी0 सुविधा हेतु), कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर, अनुरक्षण व तत्सम्बन्धित स्टेशनरी पर व्यय, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण व उनकार अनुरक्षण, नियमों के अन्तर्गत एवं आवश्यकतानुसर पेट्रोल/डीजल पर व्यय एवं नीली क्रान्ति सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, प्रदर्शनी एवं मेला इत्यादि मदों पर किया जायेगा। साथ–ही प्रशासकीय व्यय मद में जनपदों/मण्डलों को ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत संचालित परियोजनाओं के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु 41 जनपदों {(75–34) मछुआ आवास योजना में प्रशासकीय व्यय आवंटित जनपदों को छोड़कर} तथा 18 मण्डलों जो धनराशि आवंटित की जा रही है, के द्वारा रू0 15000/– (अधिकतम

सीमा) की दर से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये कन्फीगुरेशन के आधार पर एनरायड फोन का क्रय किया जायेगा, जिसका उपयोग केवल विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। उक्त एनरायड फोन के कन्फीगुरेशन निर्धारण जनपदों/मण्डलों को निदेशालय द्वारा बाद में उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैंनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के कियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या 20/2016/2362/सत्रह–म–2016–6–9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश/गाइड लाइन्स, शासनादेश संख्या 18/2017/1128/सत्रह–म–2017–6–9(333)/16 दिनांक 07 जुलाई, 2017 एवं शासनादेश संख्या 2/2018/2236/सत्रह–म–2018–6–9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग–निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षकों में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

5– विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा–निर्देश के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी। सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार निर्माण, अवस्थापना, क्रय हेतु निर्धारित प्रकिया तथा सक्षम तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

7– प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

8– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम में पूर्व में इस मद में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

10–स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1/2020/बी–1–149–दस–2020–231/2020 दिनांक 24–3– 2020, पत्र संख्या 4/2020/बी–1–192/दस–2020–231/2020 दिनांक 07–04–2020, पत्र संख्या–5/2020/बी–1–196/दस–2020–231/2020 दिनांक 11–04–2020 पत्र संख्या 6/2020/बी–1–218/दस–2020–231/2020 दिनांक 18–05–2020 एवं पत्र संख्या–बी–1–1195/दस–16–94 दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2020 के प्रस्तर–3 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण EAT module of PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12 – धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

13– व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

14– राज्य सरकार द्वारा केन्द्रांश की धनराशि जारी की गई है अतः इसका समयबद्ध तरीके से दो माह में नियमानुसार प्रोजेक्टस के सापेक्ष मानकों का पालन करते हुए व्यय सुनिश्चित करें ताकि राज्यांश की धनराशि अवमुक्त कराया जा सके।

15– उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0102– ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना, 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

16– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (114) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक–4871 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
3– अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी...............................
5– उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
6– गार्ड फाइल।
7– वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेशित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-04/11/2020

प्रेषण संख्या:-	1
आवंटन आदेश संख्या:-	001-BLUE REV ADM EXP ALLOTMENT 4-11-2020
अनुदान संख्या:-	17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
	101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
	01 -
	02 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	60000 429810	60000 429810
2	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --30-सहायक निदेशक मत्स्य	वर्तमान प्रगामी	14000 14000	14000 14000
3	मुज़फ्फर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	28000 754270	28000 754270
4	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	120000 2611230	120000 2611230
5	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी-मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	14000 1988120	14000 1988120
6	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी-मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	50000 202800	50000 202800
7	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000 81200	14000 81200
8	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000 2685330	14000 2685330
9	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	190000 2541230	190000 2541230
10	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 174110	50000 174110
11	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000 2500710	100000 2500710
12	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान	60000 600220	60000 600220

		प्रगामी		
13	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --30-सहायक निदेशक मत्स्य	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
14	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000 1690800	14000 1690800
15	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	120000 1139170	120000 1139170
16	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --19-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी	50000 1082370	50000 1082370
17	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000 435040	14000 435040
18	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 623450	50000 623450
19	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 757700	50000 757700
20	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	64000 2731610	64000 2731610
21	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	64000 2845550	64000 2845550
22	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	120000 1232430	120000 1232430
23	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी	50000 2139080	50000 2139080
24	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 976450	50000 976450
25	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	70000 1205990	70000 1205990
26	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	50000 743350	50000 743350
27	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	170000 4601710	170000 4601710
28	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000 420550	14000 420550
29	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000 898160	14000 898160
30	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान	50000 2253720	50000 2253720

		प्रगामी		
31	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	130000 2670400	130000 2670400
32	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	50000 1322890	50000 1322890
33	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	14000 1546230	14000 1546230
34	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	70000 1092180	70000 1092180
35	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --30-सहायक निदेशक मत्स्य	वर्तमान प्रगामी	14000 14000	14000 14000
36	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	110000 4773540	110000 4773540
37	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	14000 5613100	14000 5613100
38	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	110000 966040	110000 966040
39	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --26-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सन्त कबीर नगर	वर्तमान प्रगामी	14000 908840	14000 908840
40	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	74000 1370550	74000 1370550
41	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	14000 777280	14000 777280
42	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	85000 803050	85000 803050
43	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	50000 1280610	50000 1280610
44	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	50000 840140	50000 840140
45	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 2861190	50000 2861190
46	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 2663750	50000 2663750
47	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 1101050	50000 1101050
48	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य	वर्तमान	144000 2525600	144000 2525600

	जनपदीय	प्रगामी		
49	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	14000 2861800	14000 2861800
50	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	50000 3541140	50000 3541140
51	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	50000 7793550	50000 7793550
52	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी	50000 2849720	50000 2849720
53	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 5469240	50000 5469240
54	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 1323460	50000 1323460
55	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
56	जवाहर भवन, लखनऊ-2381-अपर सॉ0 अधिकारी , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	2046000 55232000	2046000 55232000
57	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000 2786080	14000 2786080
58	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000 451770	14000 451770
59	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 573510	50000 573510
60	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 3824330	50000 3824330
61	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 1031570	50000 1031570
62	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000 861700	14000 861700
63	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000 705270	14000 705270
64	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000 7016690	14000 7016690
65	गौतमबुद्ध नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 168000	50000 168000
66	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान	50000 1851150	50000 1851150

		प्रगामी		
67	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000 714580	14000 714580
68	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 1281430	50000 1281430
69	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000 556750	14000 556750
70	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000 351570	14000 351570
71	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 978600	50000 978600
72	चित्रकूट-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	14000 500730	14000 500730
	योग	वर्तमान प्रगामी	5707000 176315240	5707000 176315240

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्तावन लाख सात हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्रह करोड तिरेसठ लाख पन्द्रह हजार दो सौ चालीस

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

complete

वित्तीय वर्ष 2019–20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020–21) में ब्लू रिवोल्यूशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना में प्रशासकीय व्यय मद में आवंटित धनराशि (इकाई रू0 में)

क्र0	जनपद / मण्डल	आवंटित धनराशि	क्र0	जनपद / मण्डल	आवंटित धनराशि
1	2	3	1	2	3
1	अलीगढ़	14000	50	अयोध्या	14000
2	हाथरस	14000	51	अम्बेडकरनगर	0
3	एटा	50000	52	सुल्तानपुर	50000
4	कासगंज	50000	53	अमेठी	50000
5	**अलीगढ़ मण्डल**	70000	54	बाराबंकी	50000
6	आगरा	50000	55	**अयोध्या मण्डल**	70000
7	फिरोजाबाद	50000	56	बरेली	50000
8	मैनपुरी	50000	57	बदायूं	0
9	मथुरा	0	58	शाहजहांपुर	14000
10	**आगरा मण्डल**	70000	59	पीलीभीत	50000
11	आजमगढ़	14000	60	**बरेली मण्डल**	60000
12	मऊ	14000	61	मिर्जापुर	14000
13	बलिया	14000	62	सोनभद्र	50000
14	**आजमगढ़ मण्डल**	60000	63	सं0रविदास नगर	14000
15	प्रयागराज	0	64	**विन्ध्याचल मण्डल**	70000
16	कौशाम्बी	14000	65	मुरादाबाद	50000
17	फतेहपुर	50000	66	सम्भल	50000
18	प्रतापगढ़	50000	67	अमरोहा	50000
19	**प्रयागराज मण्डल**	70000	68	रामपुर	50000
20	कानपुर नगर	14000	69	बिजनौर	14000
21	कानपुर देहात	50000	70	**मुरादाबाद मण्डल**	70000
22	इटावा	14000	71	मेरठ	50000
23	औरैया	50000	72	बागपत	14000
24	फर्रूखाबाद	14000	73	गजियाबाद	50000
25	कन्नौज	50000	74	गौतमबुद्धनगर	50000
26	**कानपुर मण्डल**	106000	75	हापुड़	50000
27	गोरखपुर	50000	76	बुलन्दशहर	14000
28	महराजगंज	50000	77	**मेरठ मण्डल**	70000
29	देवरिया	14000	78	लखनऊ	45000
30	कुशीनगर	14000	79	उन्नाव	50000
31	**गोरखपुर मण्डल**	60000	80	रायबरेली	50000
32	बस्ती	50000	81	सीतापुर	50000
33	संतकबीर नगर	14000	82	हरदोई	50000
34	सिद्धार्थ नगर	14000	83	लखीमपुर खीरी	50000
35	**बस्ती मण्डल**	60000	84	**लखनऊ मण्डल**	40000
36	बांदा	50000	85	वाराणसी	50000
37	चित्रकूट	14000	86	चन्दौली	50000
38	हमीरपुर	14000	87	गाजीपुर	50000
39	महोबा	14000	88	जौनपुर	14000
40	**चित्रकूट मण्डल**	60000	89	**वाराणसी मंण्डल**	80000
41	झांसी	50000	90	सहारनपुर	14000
42	जालौन	14000	91	मुजफ्फरनगर	14000
43	ललितपुर	50000	92	शामली	14000
44	**झांसी मण्डल**	60000	93	**सहारनपुर मण्डल**	60000
45	गोण्डा	14000	94	**मुख्यालय**	2046000
46	बलरामपुर	50000	95	**मत्स्य निगम**	0
47	बहराइच	50000	96	**फेडरेशन**	0
48	श्रावस्ती	14000		**महायोग**	**5707000**
49	**देवीपाटन मण्डल**	60000			

[signature] 03/11/2020

(एस0के0सिंह)

निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,लखनऊ।

संख्या:19 /2020/ 695 /सत्रह-म-2020-6-9 (2)/19

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 06 जुलाई, 2020

विषय वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2268.712 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि रू0 1434.5509 लाख में से मात्र केन्द्रांश रू0 1140.416 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 717/ नि0शा0/2020-21/16-19(6) दिनांक 03 जून,2020 तथा पत्र संख्या-763/ नि0शा0/2020-21/16-19(6) दिनांक 24 जून,2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र संख्या 717/ नि0शा0/2020-21/16-19(6) दिनांक 03 जून,2020 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2268.712 लाख के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश रू0 1434.5509 लाख में से केन्द्रांश रू0 1140.416 लाख व मैचिंग राज्यांश रू0 742.384 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 1882.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया था।

3- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या- जे- 1203113/48/2017 एफवाई-।। दिनांक 09.12.2019 द्वारा कुल रू0 9624.94 लाख की परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी, जिसमें से अनुदान के रूप में रू0 5059.64 लाख (केन्द्रांश रू0 2983.79 लाख+राज्यांश रू0 2075.85 लाख) तथा लाभार्थी अंश रू0 4565.30 लाख की धनराशि निहित है। भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत सामान्य मद हेतु रू0 2268.712 लाख का केन्द्रांश प्रथम किश्त के रूप में अपने पत्र संख्या-जे-1203113/48/2017-एफवाई-।। दिनांक 09.12.2019 द्वारा अवमुक्त किया गया था।

4- गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत सामान्य मद हेतु अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत सम्पूर्ण वांछित बजट व्यवस्था न होने के कारण मात्र कुल रू0 2043.279 लाख (केन्द्रांश रू01157.593 लाख+ राज्यांश रू0 885.686 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.03.2020 तक मात्र रू0 1513.3585 लाख (केन्द्रांश रू0 834.1611 लाख+ राज्यांश रू0 679.1974 लाख) की धनराशि ही व्यय हो सकी तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गयी। इस प्रकार रू0 1434.5509 लाख का केन्द्रांश अप्रयुक्त /अवशेष रहा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या- जे-/ 18001/1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2020 द्वारा वर्ष 2019-20 में ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत निर्गत केन्द्रांश वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 मे प्रश्नगत योजनान्तर्गत अनुदान संख्या- 17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन मे कुल रू0 5000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

6- वर्तमान में विशेष परिस्थितियों/सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत सर्वप्रथम मात्र केन्द्रांश रू0 1140.416 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है,जिसके क्रम में आपके द्वारा पत्र संख्या-763/ नि0शा0/2020-21/16-19(6) दिनांक 24 जून,2020 द्वारा केन्द्रांश धनराशि रू0 1140.416 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का एनेक्जर सहित संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

7- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020 -21) में ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत सामान्य मद हेतु अवशेष/पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि रू0 1434.5509 लाख में से सर्वप्रथम मात्र केन्द्रांश धनराशि 1140.416 लाख (रू0 ग्यारह करोड चालीस लाख इकतालीस हजार छः सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न तालिकानुसार 17 परियोजनाओं/मदों हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स, शासनादेश संख्या- 18/2017 /1128/ सत्रह-म-2017-6-9(333)/16 दिनांक 07 जुलाई, 2017 एवं शासनादेश संख्या- संख्या-2/2018 /2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग-निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर / बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षकों में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(5) विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई- टेण्डर/ जेम पोर्टल विषयक दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा तथा

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी। सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार निर्माण,अवस्थापना,क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा सक्षम तकीनीकी अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम में पूर्व में इस मद में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है ।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020, पत्र संख्या-4/ 2020/ बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक11.04.2020,पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/ 2020, दिनांक 18.05.2020 एवं पत्र संख्या- बी-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 में दिये दिशा-निर्देशों /प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) भारत सरकार के पत्रांक जे-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2020 के प्रस्तर- 3 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु डी0बी0टी0/पी0एम0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण EAT module of PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामालों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ(यू0पी0एफ0डी0सी0) हेतु संलग्न तालिका के क्रमांक-(13) व(16) पर अंकित परियोजनाओं हेतु तथा उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ(यू0पी0 एम0जे0 एस0एस0) को क्रमांक-(7) व(13) में अंकित परियोजनाओं हेतु निर्गत की जा रही धनराशि को निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार आहरण कर निर्धारित प्रक्रियानुसार उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0,लखनऊ एवं उ0प्र0 मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0,लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

9- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दि0 24.03.2020,पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक18.05.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-494/ ई-1-दस-2020, दिनांक 01 जुलाई,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या 19/2020/695 / सत्रह-म-2020तददिनांक -

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकारप्रयागराज। द्वितीय उ0प्र0/प्रथम (लेखा एवं हकादरी)
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(शासनादेश संख्या: 19 /2020 / 695 /सत्रह-म-2019-6-9(2)/19 दिनांक 06 जुलाई ,2020 का संलग्नक)

-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	श्रेणी / फण्डिंग पैटर्न (के0:रा0:ला0)	भौतिक लक्ष्य (सं0/ हे0)	इकाई लागत	परियोजना लागत	अनुमन्य अनुदान	अवशेष केन्द्रांश रू0 1434.5509 लाख के सापेक्ष निर्गत होने वाली मात्र केन्द्रांश धनराशि		अभ्युक्ति
							केन्द्रांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मध्यमाकार आर0ए0एस0	सामान्य 24:16:60	43	50.00	2150.00	860.00	**180.00**	**180.00**	निदेशक मत्स्य के पत्र संख्या-763/ नि0शा0/ 2020-21/ 16-19(6) दिनांक 24 जून,2020 द्वारा संलग्नकों के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार विवरण/फांट के अनुसार।
2	मध्यमाकार आर0ए0एस0	महिला 36:24:40	38	50.00	1900.00	1140.00	**262.80**	**262.80**	
3	कम लागत के आर0ए0एस0	सामान्य 24:16:60	18	15.00	270.00	108.00	**25.20**	**25.20**	
4	कम लागत के आर0ए0एस0	महिला 36:24:40	7	15.00	105.00	63.00	**5.40**	**5.40**	
5	आई0एम0सी0 तथा अन्य विशिष्ट कल्टीवेबल फिनफिश हेतु मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना	सामान्य 24:16:60	4	25.00	100.00	40.00	**8.00**	**8.00**	
6	आई0एम0सी0 तथा अन्य विशिष्ट कल्टीवेबल फिनफिश हेतु मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना	महिला 36:24:40	3	25.00	75.00	45.00	**5.40**	**5.40**	
7	फिश सीड रियरिग यूनिट	यू0पी0एम0 जे0एस0एस0 50:50:00	3	6.00	18.00	18.00	**4.50**	**4.50**	
8	नये तालाबों का निर्माण	सामान्य 24:16:60	200	7.00	1400.00	560.00	**124.666**	**124.666**	
9	नये तालाबों का निर्माण	महिला 36:24:40	60	7.00	420.00	252.00	**151.20**	**151.20**	
10	नये तालाबों का निर्माण पर निवेश	सामान्य 24:16:60	200	1.50	300.00	120.00	**72.00**	**72.00**	
	नये तालाबों का निर्माण पर निवेश	महिला 36:24:40	60	1.50	90.00	54.00	**32.40**	**32.40**	
11	नये तालाबों का निर्माण (जलीय कृषि के लिए अंतदेर्शीय खारा पानी का उत्पादक उपयोग)	सामान्य 24:16:60	10	7.00	70.00	28.00	**6.72**	**6.72**	
12	ताजे पानीमें झींगा कल्चर के लिए इनपुट लागत	सामान्य 24:16:60	10	2.50	25.00	10.00	**6.00**	**6.00**	

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	जलाशयों तथा अन्य खुले जल क्षेत्र में केज/पेन की स्थापना	सामान्य 24:16:60	260	3.00	780.00	312.00	**122.98**	**122.98**	
14	स्माल फीड मिल	सामान्य 24:16:60	21	10.00	210.00	84.00	**5.28**	**5.28**	
15	स्माल फीड मिल	महिला 36:24:40	16	10.00	160.00	96.00	**10.80**	**10.80**	
16	कम लागत के आर0ए0एस0	यू0पी0एफ0 डी0सी0 50:50:00	16	15.00	240.00	240.00	**60.00**	**60.00**	
	योग -						**1083.346**	**1083.346**	
17	प्रशासकीय व्यय (केन्द्रांश का 3प्रतिशत)	100:00:0			86.90	86.90	**57.07**	**57.07**	निदेशक मत्स्य के स्तर से धनराशि आवंटित की जायेगी।
	योग -						**1140.416**	**1140.416**	

(रू0 ग्यारह करोड चालीस लाख इकतालीस हजार छः सौ मात्र)

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।